न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 39/2014

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा आयु-60 वर्ष निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर		1. ढुंगा वल्द राजू 2. रामा वल्द अजमाल जातियान-मेहरात, निवासीगण-भीवगढ़ (रास) तहसील-जैतारण (जिला-पाली) 3. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.20.02.2014**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 03/07/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट बांगड सीमेन्ट के नाम सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण में स्थापित, कार्यरत एवं उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र वाद के साथ पेश किया हैं, जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2164 रकबा 3-08 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिसमें वादी कम्पनी 2/6 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। वादी कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग-अलग बंटी हुई हैं व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैं। वादी खसरा नम्बर 2164 रकबा 3-08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में 2/6 हिस्से की भूमि यानि 1 बीघा 02 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के कांबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग-अलग तरमीम की हुई नही हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी कम्पनी की वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कृषि भूमि खसरा नम्बर 2164 रकबा 3-08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में 2/6 हिस्से की भूमि यानि रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे, काश्त, हिस्से एवं खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने, हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करवाने का तकासमा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 12/01/2014 को मना कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं हैं, वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं, उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दिशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिए संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनायदावा दिनांक 12/01/2014 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-भीवगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 3 तथा 1 व 2 को बावजूद सूचना / तामिली बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध क्रमशः दिनांक 26/05/2014 तथा 24/11/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 महावीर चौपड़ा का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र दिनांक 26/03/2015 को प्रस्तुत किया। मुख्य परीक्षण पर दस्तावेजात Exp-1 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 एवं नक्शा ट्रेस Exp-2 प्रदर्शित करवाया गया। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड उक्त विवादित भूमि में वादी अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार होना बखूबी प्रमाणित होने से प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं बाई

Scanned by CamScanner

मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंट्वाड़ा करवाने का अधिकारी होने से माफिक दावा बंट्वाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात एवं शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 के तस्दीक शुदा शपथ-पत्रादि का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी अपने हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज है, लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंट्वाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-रास, तहसील-जैतारण में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2164 रकबा 3-08 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की है, बंट्वाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /मेखमबन्दी करवाकर बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2015/266 दिनांक 15/04/2015 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/15/3879 दिनांक 04/06/2015 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 12/05/2015 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2164 रकबा 3-08 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा निवास - हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड़ नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2164	1-03-00	बा0दो0	0.29 रू.
2	मंगलाराम हरजीराम अणदाराम दीनाराम वि0 डूंगा सुवानी पत्नि डूंगा हिस्सा 34/45 रामा पुत्र डूंगा हिस्सा 11/45 कौम-अजमाल मेहरात सा0 देह खातेदार।	2164/1	2-05-00	बा0दो0	0.58 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12/05/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

इजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)
जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक
(कार्मिक व प्रशासन) पुत्र
जवाहरलाल चौपड़ा आयु-60 वर्ष
निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0
(रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर
अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर

1. डुंगा वल्द राजू
2. रामा वल्द अजमाल
जातियान-मेहरात,
निवासीगण-भीवगढ़ (रास)
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
3. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:39/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2164 रकबा 3-08 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) पुत्र जवाहरलाल चौपड़ा निवास - हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा जिला-अजमेर खातेदार।	2164	1-03-00	बा0दो0	0.29 रू.
2	मंगलाराम हरजीराम अणदाराम दीनाराम पि0 डूंगा सुबानी पत्नि डूंगा हिस्सा 34/45 रामा पुत्र अजमाल हिस्सा 11/45 कौम-मेहरात सा0 देह खातेदार।	2164/1	2-05-00	बा0दो0	0.58 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12/05/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... मीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-..... ...-......को अदा करें।

.-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक

आज तारीख 03/07/2015 को जारी बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00		स्टाम्प वकालतनामा	1=00	
स्टाम्प वकालतनामा	1=00		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—		महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	2=00		फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—		मुत्फरिक		
मिजानः–	5=00		मिजानः–	1=00	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

ह० [signature]
उपखण्ड अधिकारी
पैठाणी (पौड़ी)